


माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा संभाग रीवा म0प्र0



Rs-101

M. 5007 II / 17

नत्थूलाल खटिक पिता स्व. दमड़ी लाल खटिक निवासी अहिरान मोहल्ला सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0 .....

आवेदक

बनाम

1. मालगुजार तनय स्व. दमड़ी लाल खटिक
2. श्रीमती कैलाशी देवी पत्नी स्व. दमड़ी लाल खटिक
3. चंपा देवी पुत्री दमड़ी लाल खटिक

सभी निवासी अहिरान मोहल्ला बजरहा टोला सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0 .....

अनावेदक गण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 35(3) म.

प्र.भू रा.संहिता 1959

बावत् पुनर्स्थापित किए जाने

रिवीजन- 125/I/08 खारिजा

दिनांक 26.10.16 नत्थूलाल बनाम

मालगुजार वगैरह

अधिकांश केके मोती दाता भोजी गड्डि राजपूत डाक से काठ पावना 07-01-17

राजस्व मंडल (सर्किट कोर्ट) रीवा

मान्यवर,

आवेदक की प्रार्थना निम्नानुसार है :-


- 1- यह कि आवेदक द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 491/अपील/2000-01 आदेश दिनांक 22.12.2007 के विरुद्ध निगरानी न्यायालय में प्रस्तुत की गयी थी जिसकी पेशी दिनांक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-M.5007-II/17

जिला-सतना

नत्थूलाल खटिक/मालगुजार खटिक

(1)	(2)	(3)
25.04.17	<ol style="list-style-type: none"><li>1. प्रकरण प्रस्तुत।</li><li>2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।</li><li>3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</li><li>4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात् प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।</li></ol> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	

M ✓